भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक: .01.2026

सार्वजनिक परामर्शिका: अनधिकृत एजेंटों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण/प्रसार सत्यापन सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में

भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) के संज्ञान में यह गंभीर मामला आया है कि कुछ व्यक्ति स्वयं को पीआरजीआई अधिकारी बताकर समाचार-पत्र/ नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण तथा प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रसार सत्यापन के नाम पर धन की मांग कर रहे हैं।

पीआरजीआई किसी भी एजेंट, बिचौलिए या निजी व्यक्ति को पंजीकरण अथवा प्रसार सत्यापन से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने या धन एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। सभी आवेदन, पत्राचार तथा भुगतान (जहाँ लागू हो) केवल प्रेस सेवा पोर्टल, भारतकोष भुगतान गेटवे तथा nic.in/gov.in ईमेल के माध्यम से ही किए जाते हैं।

कोई भी व्यक्ति यदि "विशेष प्रभाव", "सीधा संपर्क" या किसी अनौपचारिक माध्यम से पंजीकरण/प्रसार सत्यापन कराने का दावा करता है, तो वह धोखेबाज है। ऐसे कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं तथा इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रकाशकों एवं स्वामियों को यह कड़ी सलाह दी जाती है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल का स्वयं उपयोग करें तथा अनधिकृत या अत्यधिक शुल्क की मांग करने वाले एजेंटों/संस्थाओं से पूर्णतः बचें। प्रेस सेवा पोर्टल के उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स किसी एजेंट या तृतीय पक्ष के साथ साझा करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे डाटा का दुरुपयोग, कानूनी जटिलताएँ तथा अन्य अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

यदि कोई व्यक्ति पीआरजीआई के नाम पर धन की मांग करता है, तो इस संबंध में तुरंत निकटतम पुलिस थाने में सूचना दें तथा पीआरजीआई को prg.prgi@gov.in अथवा it-helpdesk.rni@gov.in पर सभी विवरण सहित सूचित करें।

सतर्क रहें। किसी भी परिस्थिति में अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान न करें।

यह परामर्शिका भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की गई है।

(रजित चन्द्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक